



2026:AHC:41924

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट-सी संख्या-7563 सन् 2026

सिद्धू सिंह

... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: राकेश कुमार, संजय पाठक

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2- इस न्यायालय द्वारा प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी उक्त आदेश से स्वयं को व्यथित अनुभव करता/करती है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

3- याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2/नायब तहसीलदार, तहसील कैम्पियरगंज, जनपद गोरखपुर को निर्देशित किया जाए कि वाद संख्या 7222 सन् 2024 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202405310407222) का शीघ्र निस्तारण करें।

4- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता नियम 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अंतर्गत दायर प्रार्थना-पत्र दीर्घकाल से लंबित है। इस स्तर पर उक्त उप-नियम (7) का उल्लेख करना उपयुक्त होगा, जो यह अपेक्षित करता है कि ऐसे प्रार्थना-पत्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर निर्णय किया जाए। उक्त उप-नियम (7) इस प्रकार है—

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“(7) तहसीलदार यह प्रयास करेगा कि अविवादित नामांतरण वाद का निर्णय वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों के भीतर तथा विवादित नामांतरण वाद का निर्णय 90 दिनों के भीतर कर दिया जाए, और यदि कार्यवाही उक्त अवधि में पूर्ण नहीं होती है, तो उसके कारण अभिलेखित किए जाएंगे।”

5- उपर्युक्त प्रावधान तथा पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 2/नायब तहसीलदार, तहसील कैम्पियरगंज, जनपद गोरखपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रार्थना-पत्र पर विचार करते हुए उसका निस्तारण गुण-दोष के आधार पर, विधि के अनुसार, यथाशीघ्र एवं अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर करें, तथा अनावश्यक स्थगन न प्रदान करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

6- उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

7- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

24 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।